सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 05.10.2021 को खान मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या **F.No. MI-40/18/2021-MINES,** दिनांक 24 जून, 2021 द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 यथा संशोधित 2021 तथा खनिज साक्ष्य नियमावली यथा संशोधित 18 जून 2021 के प्राविधानानुसार ब्लाक बनाकर निलामी के माध्यम से आवंटित किये जाने हेतु **Geological Report** में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु गठित दल **Joint Working Group (JWG)** बैठक का कार्यवृत्तः–

बैठक में उपस्थिति– संलग्नक–क ।

विचार विमर्श के उपरान्त लिये गये निर्णय निम्नवत् हैः–

1. खान मंत्रालय भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (G.S.I) द्वारा Geological axis जी–4 लेवल के 100 चिन्हीत खनिज लोटों के composite licence की निलामी किये जाने के अनुपालन में अपर महानिदेशक/विभागाध्यक्ष भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण उत्तरी क्षेत्र वसुंधरा सेक्टर ई अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 477आर/ADG/HOD/Tech/NR/2021 दिनांक 13 सितम्बर 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद अल्मोडा एवं पिथौरागढ की तहसील गंगोलीहाट के ग्राम चौरा, सैतोला, कलचूर, धुराली आदि के क्षेत्रान्तर्गत कुल 8.00 वर्ग0कि0मी0 क्षेत्र में स्थित खनिज लाइमस्टोन की Geological Report (GR) उपलब्ध कराई गई है, जिसके क्रम में निम्नानुसार प्रक्रिया कर मत स्थिर हुएः–
   i. मोर्डल टेण्डर डांकोमेंट पार्ट 4ए में जी0एस0आई0 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया जाना होगा। जिसके लिए G.S.I का पूर्ण सहयोग हेतु Dedicated अधिकारी की आवश्यकता होगी जिसके लिए सचिव खान मंत्रालय भारत सरकार को अर्धशासकीय के माध्यम से अनुरोध किया जायेगा।
   ii. निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा SBI- Capital Markets Limited को निलामी की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तो का विवरण प्राप्त होने के उपरान्त नामित ऐजेनसी की कार्यावाही प्रारम्भ की जायेगी। डी0जी0पी0एस0 सर्वे, सम्बन्धित जिलाधिकारी से भूमि का पृथक–पृथक यथा वन भूमि, निजी नाप भूमि, अन्य भूमि का विवरण, निलामी पर दिये जाने वाले ब्लाक में सम्बन्धित बैरियरस को भी चिन्हित कर GR में रिसोर्स की गुणवत्ता एवं मात्रा आदि की कार्यवाही समय की बचत हेतु नामित ऐजेन्सी द्वारा की जानी होगी।

   (कार्यवाही जी0एस0आई0/एस0बी0आई0कैप/भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)।

2. संयुक्त निदेशक खनन द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2658/VII-A-I/19/7ख/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 के द्वारा NMET Funding से मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड नागपुर के साथ त्रिपक्षीय अनुबन्ध (Tripartite Agreement) हस्ताक्षरित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में दिनांक 21, जनवरी 2020 के द्वारा BIPARTITE AGREEMENT किये जाने का सुझाव दिया गया है। औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1875/VII-A-I/2021–07ख/2016 दिनांक 19 जनवरी, 2021 के द्वारा NMET Funding से मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड नागपुर के साथ BIPARTITE AGREEMENT हस्ताक्षरित किये जाने का अनुरोध किया गया है। एम0ई0सी0एल0 के प्रतिनिधि पुनः 04 अक्टूबर, 2021 को संशोधित BIPARTITE AGREEMENT का ड्राफ्ट लेकर आए हैं।

   उक्त प्रस्ताव पर वस्तुस्थिति निम्नवत हैः–
   i. जनपद देहरादून की तहसील त्यूनी के ग्राम क्वानू आदि में खनिज बेसमेंटल का खनिज अन्वेषण G.S.I द्वारा किया गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा खनिज साक्ष्य नियमावली के अनुसार अनुसूची फर्म IV-A में एम0ई0सी0एल0 को प्रेषित है। MECL के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया कि G.S.I द्वारा क्षेत्र के चामरी व उसके आस–पास लगे क्षेत्रों में जी–2 लेवल का खनिज अन्वेषण किया जाना सूचित है, जिसकी विस्तृत Geological Report (GR) G.S.I से तैयार करवाकर निलामी की कार्यवाही सम्पन्न की जा सकती है। जिसके लिए G.S.I का पूर्ण सहयोग हेतु Dedicated अधिकारी की आवश्यकता होगी जिसके लिए सचिव खान मंत्रालय भारत सरकार को अर्धशासकीय के माध्यम से अनुरोध किया जायेगा। शेष क्षेत्र अमतियार गाड़ आदि क्षेत्र में NMET से Funding प्राप्त किये जाने हेतु MECL द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

   (कार्यवाही एम0ई0सी0एल0/जी0एस0आई0/भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)।
   ii. जनपद व तहसील देहरादून में खनिज राक फॉस्फेट का G.S.I द्वारा खनिज अन्वेषण का कार्य के ग्राम दुरमाला, ग्राम मालदेवता, ग्राम भस्तीजाली खाल व ग्राम मसराना आदि में किया गया। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा खनिज साक्ष्य नियमावली के अनुसार अनुसूची फर्म IV-A में MECL को प्रेषित है। ग्राम दुरमाला व ग्राम मालदेवता कुल क्षेत्रफल 137.48है0 क्षेत्र में पूर्व में PPCL द्वारा Underground पदति से खनन कार्य किया गया था। MECL

के प्रतिनिधि द्वारा मौखिक रूप से माइनिंग प्लान एवं माइन क्लोजर प्लान की स्कैन प्रतियां मांगी गयी। MECL द्वारा G.S.I से ग्राम भस्तीजाली खाल व ग्राम मसराना आदि के सम्बन्ध में Geological Report (GR) का भी अनुरोध किया गया, जिसके लिए G.S.I का पूर्ण सहयोग हेतु Dedicated अधिकारी की आवश्यकता होगी जिसके लिए सचिव खान मंत्रालय भारत सरकार को अर्धशासकीय के माध्यम से अनुरोध किया जायेगा।

(कार्यवाही एम0ई0सी0एल0 / जी0एस0आई0 / भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)।

3. उपखनिज सिलिका सैण्ड हेतु जनपद उत्तरकाशी, तहसील पुरोला एवं मोरी के ग्रामों /क्षेत्रों में एक खनिज पार्क में खनन लांट बनाकर प्रत्येक खनन लॉट का Available Mineral resources, Available Mineral Reserve, Mineable Mineral Reserve, Blocked Mineral reserve,खनन लांट में सभी Surfac features यथा स्कूल, मकान, निजी भूमि आदि को चिन्हित किये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा दिनांक 07 सितम्बर, 2020 का अनुरोध किया गया है। आने वाले ब्यय एवं टाइम लाईन के सम्बन्ध में दिनांक 24–08–2021 सूचना चाही गयी। एम0ई0सी0एल0 के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर मौखिक रूप से अवगत कराया गया है कि G.S.I के द्वारा खनिज अन्वेषण क्षेत्र स्थलीय निरीक्षण करके सटन्गधार क्षेत्र में किये गये बोर होल्स के कोर्डिनेटस लिये जाने एवं विभाग के पास विभिन्न क्षेत्रों के आवेदित खसरा मानचित्र के आधार पर की कार्यवाही का प्रयास G.S.I के सहयोग से राज्य सरकार के खर्चे पर किया जा सकता है। जिसके लिए G.S.I का पूर्ण सहयोग हेतु Dedicated अधिकारी की आवश्यकता होगी। इस हेतु एम0ई0सी0एल0 अपने स्तर से विचार कर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा चाही गयी सूचना का प्रतिउत्तर प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही एम0ई0सी0एल0)।

4. जनपद पिथौरागढ के तहसील डीडीहाट के अस्कोट क्षेत्रान्तर्गत खनिज–सोना, चादी, एन्टीमनी, आरसैनिक, कैडमियम, टंगस्टन क्षेत्र की सूचना निर्धारित प्रारूप अनुसूची IV-A पर सचिव खान मंत्रालय भारत सरकार को मार्गदर्शन /डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट चिन्हित करने वाली यूजर ऐंजेसी तथा उसके द्वारा चार्जेज आदि के सम्बन्ध में एम0ई0सी0एल0 द्वारा उक्त क्षेत्र में मा0 न्यायालय में कोई वाद तो विचाराधीन नही के सम्बन्ध में पूछा गया । इस सम्बन्ध में एस0बी0आई0 कैप के द्वारा अवगत कराया गया कि अस्कोट खनन लांट से सम्बन्धित पूर्ण घटनाक्रम विवरण तैयार किया जाना होगा तथा आदी गोल्ड के पक्ष में स्वीकृत आशय पत्र को निरस्तीकरण करने के उपरान्त अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त 3.8 वर्ग0किमी0 क्षेत्र की GR को निलामी के लिये तैयार किया जा सकेगा। जिसमें एस0बी0आई0 कैप द्वारा विधिक तथ्यों को भी निलामी अभिलेखों में स्पष्ट किया जा सकेगा।

(कार्यवाही /एस0बी0आई0कैप/ भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)।

5. (i) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधित अधिनियम–1957 की धारा–11 प्रथम आवत प्रथम पावत के प्रविधानों के अर्न्तगत खनिज परिहार नियमावली 1960 के तहत खनिज लाईम स्टोन का प्रोस्पेंक्टिग लाईसेंस का आशय पत्र (क्रमशः मैसर्स अल्ट्राटेक को जनपद देहरादून–सुनेरखेड़ा आदि क्षेत्र व जनपद अल्मोड़ा/बागेश्वर– सोमेश्वर भूलगांव आदि तथा जय श्री राम को जनपद देहरादून–मदारसू) स्वीकृत किया गये। जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधित अधिनियम–1957 की धारा–10A(2b) के तहत Ineligible होने के कारण स्वतः समाप्त हो गयी है। जिसके विरूद्व तीनों आशय पत्र धारकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीतांल में रिट याचिका दायर की गयी थी। मैसर्स अल्ट्राटेक की दोनों रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा खारिज कर दी गयी। जिसके विरूद्ध मैसर्स अल्ट्राटेक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली मे स्पेशल रिट पिटीशन (सिविल) सं0 25877 एवं 25668 आंफ 2017 अल्ट्राटेक सिमेंट बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गयी है, जो वर्तमान में मा0 उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली मे योजित ट्रान्सफर पिटीशन संख्या (एस) (सिविल) न0 358–413 आंफ 2019 में उक्त तीनों याचिकायें को स्थान्तरित कर दिया गया है। जो वर्तमान में मा0 उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधित अधिनियम–1957 का संशोधन दिनांक 28 मार्च, 2021 के द्वारा जोड़ी गयी धारा– 10A(2d) के अर्न्तगत पुनः निलामी की कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत राज्य सरकार से अनुमति लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)।

(ii) खनिज लाइमस्टोन के उक्त तीनों क्षेत्रों का खनिज अन्वेषण सम्बन्धी कार्य तत्कालीन भूतत्व एवं खनिकर्म लखनऊ द्वारा किया गया जिसकी खनिज अन्वेषण सम्बन्धी रिपोर्टस उत्तराखण्ड राज्य गठन के समय उत्तराखण्ड राज्य को उपलब्ध कराई

गयी हैं। खनिज साक्ष्य नियमावली के अनुसार अनुसूची फर्म IV-A में सूचना जनपद देहरादून–सुनेरखेड़ा आदि क्षेत्र तथा जनपद देहरादून–मदारसू तैयार हैं परन्तु जनपद अल्मोड़ा/बागेश्वर– सोमेश्वर भूलगांव आदि की सूचना खनिज साक्ष्य नियमावली के अनुसार अनुसूची फर्म IV-A में तैयार नहीं है। MECL के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त तीनों क्षेत्रों का Geological Report (GR) तैयार किये जाने का कार्य NMET की Funding से कराये जाने का अनुरोध किया गया। जिस पर निर्णय बाद में लिया जायेगा।

(कार्यवाही भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)।

बैठक संधन्यवाद समाप्त हुई।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव खनन,
उत्तराखण्ड शासन।